न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः–315 / 2025

प्रार्थीः–

अभयसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री गणपतसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29.05.2026

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा धीरा तहसील सिवाना में खसरा संख्या 318 अवस्थित है। प्रार्थी के खेत के बदिशा पूर्व में रास्ता चालू हालत में है जो पीढियों से पुराना रास्ता है जहां से आमजन का आवागमन चालू हालत में है उक्त रास्ते की भूमि गैर मुमकिन पहाड के नाम से दर्ज हो गई है जबकि मौका स्थिति पर उक्त रास्ते पर कोई पहाड नहीं है उक्त भूमि बाबत म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि के पास पहाड की भूमि होने से राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से उक्त सरकारी रास्ते की भूमि के स्थान पर किस्म गै.मु. पहाड दर्ज कर दिया वर्तमान में पहाड उक्त रास्ते से काफी दूरी पर स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि को पंचायत समिति सिवाना के द्वारा "3604 भू. राजस्व अनुदान योजना" के रास्ता सुदृढीकरण अभियान मे श्रमिक लगाकर ग्रेवल सडक बनाई गई है जो आज रोज इन्द्रा कॉलोनी से प्रार्थी के खेत तक वर्तमान में चालू हालत में है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम को दुरूस्त करते हुए गै.मु पहाड के स्थान पर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से अनुसार ग्राम धीरा के खसरा संख्या 329 रकबा 0.5947 हैक्टयर किस्म गै.मु. आबादी से खेत खसरा संख्या 312 रकबा 2.0839 हैक्टेयर तक खसरा संख्या 331 रकबा 30.1895 हैक्टैयर में रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल अनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। वर्तमान में उक्त रास्ते का उपयोग आमजन द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त रास्ते पर पंचायत समिति सिवाना द्वारा ग्रेवल भी बिछाई हुई है, तहसीलदार सिवाना ने उक्त रास्ते की किस्म गै.मु. पहाड के स्थान पर गै.मु. रास्ता किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील सिवाना के सरदह मौजा धीरा के खसरा संख्या 331 रकबा 30.1895 हैक्टेयर भूमि में रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित बरंग लाल को राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज 29.05.26 दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बालोतरा)

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/06/2025 09:16:57 AM

... : बालोतरा

तहसील : सिवाना

भू. अ. नि. क्षेत्र : रमणीया

...ल्का : धीरा

ग्राम : धीरा

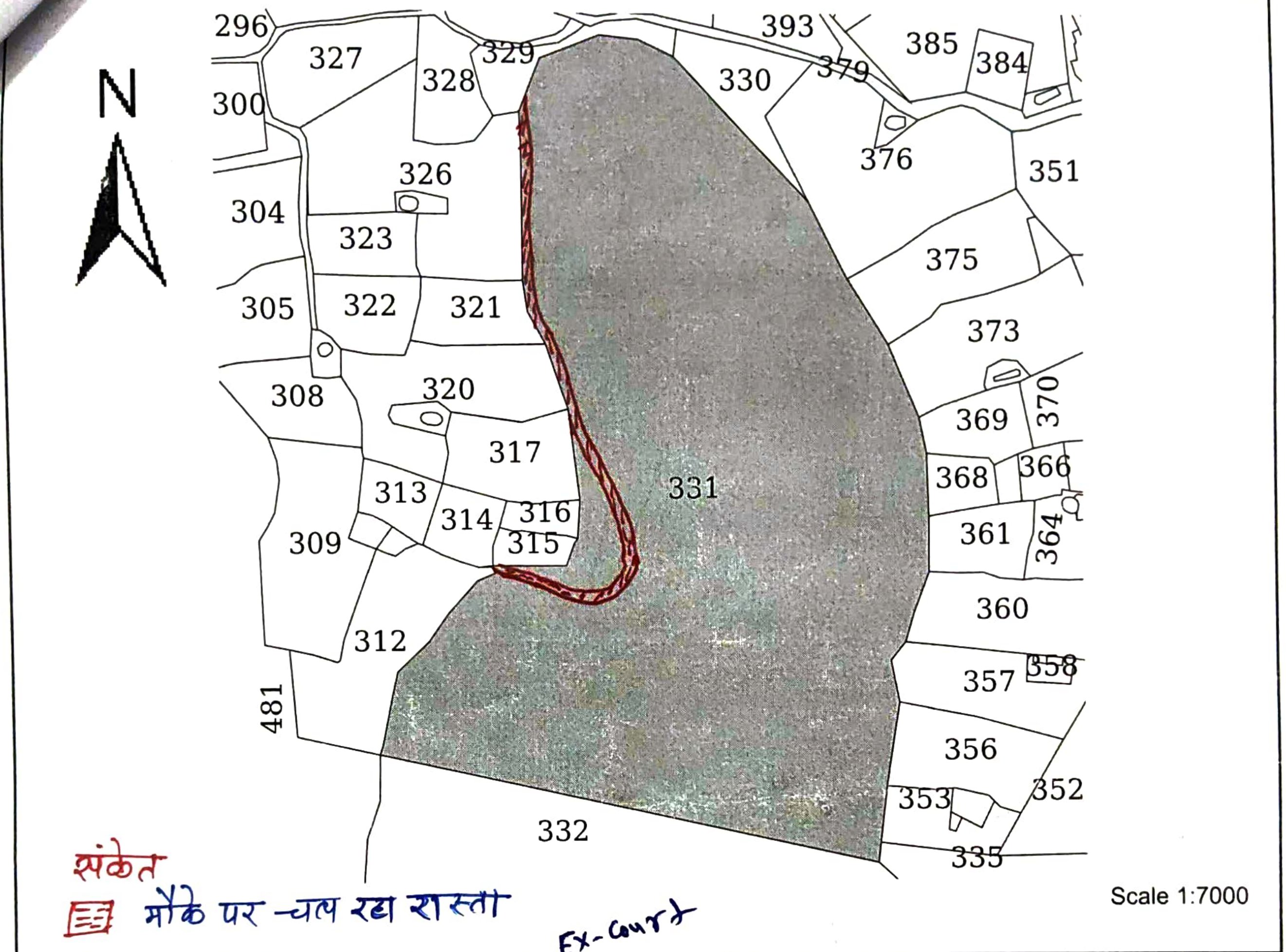

Scale 1:7000

Ex-Court

खसरा संख्या :331 क्षेत्रफल : 30.1895 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु. पहाड़ [30.1895]

राज. सरकार

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।